राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6030/2022

राजेन्द्र प्रसाद रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.11.2022
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री निखिल सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 20.09.2022 एवं 02.08.2021 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को बहाल करते हुए पदस्थापित कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (हिंदी) (निलम्बनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा, देवरी, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और वर्ष 2013 में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर एवं वर्ष 2015 में ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध पारिवारिक झगड़े के कारण एफआईआर संख्या 39/2022 दिनांक 25.01.2021 को चित्रकूट, जयपुर थाने में दर्ज की गई, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 323, 498ए एवं 406 आईपीसी के विरूद्ध आरोपित किया गया और दिनांक 07.07.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाकर दिनांक 12.07.2021 को जमानत पर छोड़ा गया और अपीलार्थी ने दिनांक 13.07.2021 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2021 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अंतर्गत दिनांक 07.07.2021 से निलंबित किया गया। अपीलार्थी ने माननीय

उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4686/2022 राजेन्द्र प्रसाद बनाम राज्य व अन्य प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2022 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 11.04.2022 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 20.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर उचित रूप से विचार न करते हुए निलंबन आदेश दिनांक 02.08.2021 को सही माना है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अशोक गौड बनाम राजस्थान राज्य, 1987 (II) आरएलआर 1987, अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य 2015(7) एससीसी 291 में पारित निर्णय की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस तरह के निलंबन आदेशों को उचित नहीं माना है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किए बिना निलंबन आदेश को सही ठहराया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 20.09.2022 एवं 02.08.2021 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को बहाल करते हुए पदस्थापित कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 39/2021 धारा 489ए, 323, 406 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज की गई है, जो विचाराधीन होने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.07.2021 की पालना में कारागार जयपुर में दाखिल किया गया एवं दिनांक 12.07.2021 को रिहा किया गया। वर्णित परिस्थिति में अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अनुसार 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की तिथि से स्वतः ही निलंबित माना जाएगा। इस प्रकार जारी आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2021 नियमानुसार जारी किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 में यह निर्देशित किया गया है कि पुनरावलोकन समिति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में गुणावगुण पर विचार कर लोक सेवक के निलंबन को समाप्त करने अथवा यथावत रखने बाबत् अपनी अभिशंषा करेगी। अपराधिक प्रकरणों में निलंबन से संबंधित उक्त समिति के समक्ष रखे जाने योग्य मामलों में यदि अनुसंधान ऐजेंसी द्वारा 2 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी अनुसंधान पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में चालान अथवा सक्षम प्राधिकारिता

को अभियोजन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है, तो ऐसे निलंबित लोक सेवक के प्रकरण को भी बहाली हेतु पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जावे। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता (हिंदी) (निलम्बनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा, देवरी, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध पारिवारिक झगड़े के कारण एफआईआर संख्या 39/2022 दिनांक 25.01.2021 को चित्रकूट, जयपुर थाने में दर्ज की गई और धारा 323, 498ए एवं 406 आईपीसी के विरूद्ध आरोपित कर दिनांक 07.07.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तथा दिनांक 12.07.2021 को जमानत पर रिहा किया गया। आदेश दिनांक 02.08.2021 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अंतर्गत दिनांक 07.07.2021 से निलंबित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4686/2022 राजेन्द्र प्रसाद बनाम राज्य व अन्य प्रस्तुत की, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2022 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 11.04.2022 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 20.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर उचित रूप से विचार न करते हुए निलंबन आदेश दिनांक 02.08.2021 को सही माना है। हमारे विनम्र मत में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 में यह उल्लेखित किया गया है कि *''पुनरावलोकन समिति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में गुणावगुण पर विचार कर लोक सेवक के निलंबन को समाप्त करने अथवा यथावत रखने बाबत् अपनी अभिशंषा करेगी। अपराधिक प्रकरणों में निलंबन से संबंधित उक्त समिति के समक्ष रखे जाने योग्य मामलों में यदि अनुसंधान ऐजेंसी द्वारा 2 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी अनुसंधान पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में चालान अथवा सक्षम प्राधिकारिता को अभियोजन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है, तो ऐसे निलंबित लोक सेवक के प्रकरण को भी बहाली हेतु पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जावे।''*

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा राज्य सरकार के परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय ले एवं अपीलार्थी को सूचित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य